

# FORM NO. III

फर्त अहकाम  
(नियम 26)

आज अवालत \_\_\_\_\_ उपखण्ड अधिकारी \_\_\_\_\_ मुकाम \_\_\_\_\_ चिड़ावा \_\_\_\_\_  
 रविन्द्र कुमार \_\_\_\_\_ बनाम \_\_\_\_\_ गुलझारीलाल \_\_\_\_\_  
 किरम मुकदमात \_\_\_\_\_ दावा \_\_\_\_\_ नं. 72 \_\_\_\_\_ सन् 2021 \_\_\_\_\_

तारीख हुम	हुम या कार्यवाही मय इतिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुम की तारीख में जारी हु।
26.07.21	<p>आज यह दावा बाव जांच रिपोर्ट पेश हुआ। दर्ज रजिस्टर किया जावे। तलबी प्रतिवादीगण हेतु प्रस्तुत तलवाने पर जरिये नोटिस नकल दावा भेजकर की जावे। मिसल वारते तलबी हेतु दिनांक 12.08.2021 को पेश हो।</p>	
12-8-21	<p style="text-align: center;">↓ उपखण्ड अधिकारी, चिड़ावा</p> <p>घणवली पेश हुई। उपरिबर्ती एंज. की अंत से राधकिसन एडवोकेट ने वकालतनामा पेश करवाली जहाँ सब पेश किया। शामिल प्रिपल एंज. वकील वारीगण ने बड़ पर डिडी कले का गिरेन किया। वकील परिवारी ने कोई एतराज किया। वकील घणकाराठ की बहस सुनी जाकर आपसी सहमति से बड़ वारीगण डिडी किया जाता है कि शक्ति खमरा नं. 21 रकबा 0.30 है, खमरा नं. 852/95 रकबा 0.83 है, कुल रकबा 2 कुल रकबा 1.13 है। सरसद उग्रम अंज. रिपोर्ट है ये वारीगण एंज. परिवारी एंज. 1 प्रत्येक का 1.13 एक हिस्सा बांटे किया जाता है। राजस्व रिकार्ड में परिवारी नं. गुलझारीलाल के नाम प्रकले के नाम दर्ज शक्ति में वारीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते हैं। फर्ती डिडी जारी हो। वकीलराट खिड़ावा एंज. उकरा घणकाराठ का राजस्व रिकार्ड में प्रमल सराप्रड को परावली केंसल सुफाट हेकर गबट से कफवी जाकर बंड तकनील जाला सारवील रफ्त हो।</p>	
	<p>↓ उप खण्ड अधिकारी चिड़ावा जिला झुंझुनूं (राज.)</p>	

